"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014—आषाढ़ 6, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक एफ 1-15/2006/एक-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम-1966 के नियम-6(ए) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में दर्शाई गई तिथि से भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2008 के अंतर्गत वरिष्ठ वेतनमान (पे बैण्ड-3, रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 6600) में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी, भा.व.से. (2009)	01-01-2013

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय ... से मुद्रित एवं प्रकाशित.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री जे. श्रीराम, भा.व.से. (2009)	01-01-2014
3.	श्री ईमोतेमसु एओ, भा.व.से. (2010)	01-01-2014
4.	श्रीमती सतोविशा समाजदार, भा.व.से. (2010)	01-01-2014

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. मिश्रा (भा.व.से.-1985), संचालक, राज्य प्रशासन अकादमी एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छ.ग. के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही श्री मिश्रा को पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग घोषित करता है.

राज्य शासन, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 11 के तहत् आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छ.ग. के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय वन सेवा के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री देवाशीष दास (भा.व.से.-1987), आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छ.ग. एवं पदेन सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही श्री दास को संचालक, राज्य प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्री देवाशीष दास द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी.सी. मिश्रा, संचालक, राज्य प्रशासन अकादमी एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2014

क्रमांक एफ 8-33/2014/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा सलाहकार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का एक पद जो वेतन भत्ते, अन्य सुविधा के लिए केबिनेट मंत्री के समकक्ष होगा, सृजित करता है.

2. उक्त पद पर श्री शिवराज सिंह, आय.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है. श्री शिवराज सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न विद्युत कंपनियों में निदेशक/अध्यक्ष यथावत् नियुक्त रहेंगे.

3. श्री शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सलाहकार के रूप में राज्य के केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है.

4. श्री शिवराज सिंह की अन्य सेवा शर्तें तथा देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—राज्य शासन द्वारा श्री बी. आनन्द बाबू, भा.व.से. (1992), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

क्रमांक एफ 1-3/2012/एक/14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नाम के समक्ष कालम नम्बर-4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री राजेश कुमार मिश्रा, भापुसे 1990	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय.
2.	श्री पवन देव, भापुसे 1992	पुलिस महानिरीक्षक/संचालक, लोक अभियोजन, रायपुर.	पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर.
3.	श्री राजकुमार देवांगन, भापुसे 1992	पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, पु.मु., रायपुर.	पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय.
4.	श्री अरूण देव गौतम, भापुसे 1992	पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर.	पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, भरती रेल्वे एवं यातायात, पुलिस मुख्यालय.
5.	श्री शिवराम प्रसाद कल्लूरी, भापुसे 1994	पुलिस महानिरीक्षक, छसबल/नक्सल ऑपरेशन, पु.मु., रायपुर	पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर
6.	रविन्द्र कुमार भेड़िया, भापुसे 1996	पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु.मु., रायपुर.	पुलिस महानिरीक्षक, छसबल/नक्सल ऑपरेशन, पुलिस मुख्यालय.
7.	श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे 1998	उप निदेशक, राज्य पुलिस अकादमी, चन्द्रखुरी, रायपुर	पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक पुलिस मुख्यालय.
8.	श्री बी. पी. पोशार्य, भापुसे 1998	पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पु.मु., रायपुर.	उप निदेशक, राज्य पुलिस अकादमी, चन्द्रखुरी, रायपुर.
9.	श्री पी. एस. गौतम, भापुसे 1999	पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पु.मु., रायपुर.	संचालक, लोक अभियोजन, रायपुर, अतिरिक्त प्रभार.
10.	श्री ए. एम. जूरी, भापुसे 2000	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पु.मु., रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद
11.	श्री के. के. अग्रवाल, भापुसे 2002	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पु.मु., रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, (रेल्वे) रायपुर एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय.
12.	श्री एस. एस. शोरी, भापुसे 2002	पुलिस अधीक्षक, जिला सूरजपुर	सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय.
13.	श्री नरेन्द्र खरे, भापुसे 2004	पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा	सेनानी, 7वीं वाहिनी, छसबल, भिलाई
14.	श्री ए.आर. कोर्राम, भापुसे 2004	पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी	सेनानी प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे 2005	पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/रेल्वे/यातायात, पुलिस मुख्यालय.
16.	श्री अभिषेक शांडिल्य, भापुसे 2007	पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा	पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार
17.	श्री रामगोपाल गर्ग, भापुसे 2007	पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद	पुलिस अधीक्षक, आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय.
18.	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भापुसे 2008	पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर	पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा
19.	श्री डी. श्रवण, भापुसे 2008	पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव	पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा
20.	श्री अभिषेक मीना, भापुसे 2010	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर.	पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव
21.	श्री गिरिजाशंकर जायसवाल, भापुसे 2010.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जिला रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग.
22.	श्री सदानंद कुमार, भापुसे, 2010	पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार	पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग.
23.	श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला, भापुसे 2011	नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, जिला रायपुर.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर
24.	श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे 2011	नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2014

क्रमांक 541/748/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. सी. मिश्रा, भा.व.से., संचालक, प्रशासन अकादमी, रायपुर को दिनांक 02-04-2014 से दिनांक 05-04-2014 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06-04-2014 का राजपत्रित अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2014

क्रमांक एफ 9-3/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-05-2013 द्वारा श्री नटवर लाल वर्मा (मूल पद-मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी, ऊर्जा विभाग) को मंत्रालय में अवर सचिव, लेखा-शाखा के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति प्रदान की गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री वर्मा की उक्त संविदा नियुक्ति की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करता है. संविदा नियुक्ति की शेष शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक 368/446/अव./2014/1-8/स्था.—श्री राजभान सिंह, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 02-06-2014 से 20-06-2014 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 01, 21, 22-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजभान सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजभान सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जानें के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजभान सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक 370/118/अव./2014/1-8/स्था.—श्री तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-05-2014 से 31-05-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-05-2014 तथा 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तीरथ प्रसाद लड़िया आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लड़िया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लड़िया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2014

क्रमांक 362/393/अव./2014/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 26-05-2014 से 31-05-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-05-2014 एवं 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2014

क्रमांक 364/416/अव./2014/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 26-05-2014 से 31-05-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-05-2014 एवं 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक 366/391/अव./2014/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 26-05-2014 से 31-05-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-05-2014 एवं 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने आगामी आदेश तक अवर सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री संजय कनकने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक 372/1178/अव./2014/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 04-06-2014 से 25-06-2014 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. सुरेन्द्र दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक 374/444/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 08-05-2014 से 16-05-2014 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक 376/289/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. के. सिन्हा, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को दिनांक 20-03-2014 से 27-03-2014 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. के. सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक 378/189/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 18-03-2014 से 22-03-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17, 23-3-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामाद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2014

क्रमांक 380/2413/अव./2009/1-8/स्था.—श्री ऋषभ पराशर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 12-05-2014 से 21-05-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10, 11-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ पराशर आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ऋषभ पराशर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषभ पराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2014

क्रमांक 382/475/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 16-06-2014 से 28-06-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14-15, 29-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

क्रमांक एफ 1-27/2004/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] परीक्षा उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र. 3. हिन्दी में कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).
2.	डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. **अथवा** 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).
3.	स्टेनो टायपिस्ट	तदैव	तदैव	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी). 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).
4.	वाहन चालक	तदैव	तदैव	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के वाहन चालन का वैध लाईसेंस तथा आंखों की दृष्टि 6/6 होना चाहिए.

टीप :— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

No. F 1-27/2004/11/(6).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, markes the following amendment in the Chhattisgarh Firms and Societies (Class-III) Services Recruitment Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

S. No. (1)	Name of the post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational qualification (5)
1.	Assistant Grade-III	18 Years	30 Years	1. Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. 2. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute. 3. In Hindi Computer Typing 5,000 (key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).
2.	Data-Entry-Operator	—do—	—do—	1. Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. OR Passed 10th Examination and three year Diploma from recognized Institute. 2. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of date entry 8,000 (key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).
3.	Steno Typist	—do—	—do—	1. Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. 60 words per minute speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken)
				3. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of data entry 5,000 (key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).
4.	Driver	18 Years	30 Years	Passed 8th Class examination and a valid LMV Driving License and must have eye sight of 6/6.

Note :— For the candidate who are domicile residents in State Chhattisgarh upper age limit shall be relaxable as per instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जून 2014

क्रमांक/2615/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "अति वृहद परियोजनाएं (अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिसने रुपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग, मंत्रालय, यथास्थिति, आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशयपत्र धारित करता हो एवं राज्य सरकार के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो;

   (ख) "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" से अभिप्रेत है उपाबंध-एक में दर्शित उद्योगों को छोड़कर, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में आने वाले समस्त उद्योग;

   (ग) "जल आपूर्ति निवेश" से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक उपक्रम के परिसर में जल आपूर्ति पर किया गया निवेश किन्तु शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो तथा इस मद में की गई भुगतान की राशि में, प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेंगी;

(घ) "नवीन औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में दिनांक 01.11.2012 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र धारित करती हो, रूपये 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया गया हो एवं प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रूपये 100 लाख का निवेश किया गया हो;

(ड.) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है दिनांक 01 नवंबर 2012;

(च) "मध्यम उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक किंतु रू. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक उपक्रम के पास सक्षम अधिकारी से, यथास्थिति, ई0एम0 पार्ट-1/आई0ई0एम0 प्राप्त किया हो तथा उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(छ) "वृहत परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट्स)" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, यथास्थिति, आई.ई. एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(ज) "लघु उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई लघु उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रू 100 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो;

(झ) "प्लांट एवं मशीनरी" से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में स्थापित मुख्य प्लांट एवं मशीनरी,

टीप – इस मद में प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश से संबंधित व्यय सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(ञ) "पंजीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा संबंधित मण्डी समिति के अधीन पंजीकृत व्यवसायी;

(ट) "भूमि मूल्य" से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के मूल्य तथा इसमें सम्मिलित है भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य या सक्षम अधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भू आबंटन किये जाने पर निर्धारित भू-प्रब्याजि (यथास्थिति जो लागू हो) तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि;

(ठ) "वैध दस्तावेज" से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित है वैध लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र/एम0ओ0यू से संबंधित दस्तावेज की वैधता अवधि में उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंको या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति या ऋण की सैध्दांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई हो;

(ड) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, यथास्थिति, स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाणपत्र/ ई.एम. पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र धारित करती हो और रू. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश उद्योग के विस्तार करने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो तथा विस्तार के अधीन प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रू 100 लाख का स्थायी पूंजी निवेश किया हो;

(ढ) "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद उद्योगों/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के नियत दिनांक के पश्चात उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम मान्य रू. 100 लाख का अतिरिक्त पूंजी निवेश करते हुए पंजीकृत मूल क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई;

(ण) "वृहद उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रू. 10 करोड़ से अधिक किंतु रू. 100 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेशित हो एवं इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक उपक्रम सक्षम अधिकारी से, यथास्थिति, आई0ई0एम0/आशयपत्र/औद्योगिक लाईसेन्स धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र भी धारित करता हो;

(त) "स्थायी पूंजी निवेश" से अभिप्रेत है किसी नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक भूमि, फैक्ट्री, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किया गया निवेश,

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

(एक) लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणो में (नवीन एवं विस्तार उद्योगों के प्रकरणों में) उद्योग स्थापना परिसर में ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/ आशयपत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश ही मान्य किया जावेगा,

(दो) विद्यमान उद्योग के "विस्तारीकरण" हेतु किये गये स्थायी पूंजी निवेश की गणना विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को लिखित पूर्व सूचना एवं इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के दिनांक से विस्तारीकरण की योजना के पूर्ण होने एवं तदनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में उपर्युक्त कार्यकलापों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश ही मान्य होगा;

(थ) "शेड–भवन" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम;

(द) "विद्यूत आपूर्ति निवेश" से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं/या निजी कम्पनियों को भुगतान की गयी राशि;

टीप :

(1) भुगतान की गई राशि में प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा।

(3) उद्योग परिसर में किये गये विद्युत स्थापना संबंधी व्ययों को ही मान्य किया जायेगा।

(ध) "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से अभिप्रेत है –

(क) लघु उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारंभ किये गये संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो;

(ख) मध्यम उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपकम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो;

(ग) वृहद उद्योगों के मामले में औद्योगिक उपकम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 150 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो;

(घ) मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 180 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो;

(ङ.) रू. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा ससूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

3. पात्रता .–

(1) कृषि एवं खाद्य उद्योग नीति 2012 की कालावधि दिनांक 01.11.2012 से 31.10.2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में आने वाले (उपाबंध–एक में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर) समस्त नवीन एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर छूट प्राप्त होगी।

(2) मंडी शुल्क से छूट राज्य की मंडियों से ही उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) प्राप्त करने पर प्राप्त होगी।

(3) परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों का पालन करना अनिवार्य है।

(4) उद्योग में संयंत्र एवं मशीनरी मद में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 1.00 करोड़ करना होगा।

(5) उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./ई.एम.पार्ट–1 जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर करना होगा।

(6) रूपये 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू करना अनिवार्य होगा।

(7) उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

(8) इस योजना के अधीन पात्रता हेतु औद्योगिक इकाईयों का कृषि उपज मंडी समितियों से वैध पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है।

(9) औद्योगिक इकाईयों द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों से/समितियों के माध्यम से उनके उद्योग में लगने वाले कच्चे माल (अधिसूचित कृषि उपज) के क्रय एवं उसका उपयोग उत्पादन में करने पर ही छूट की पात्रता होगी।

(10) मंडी शुल्क छूट का आवेदन, औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो भी पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्णरूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(11) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक उद्योग उत्पादनरत रहे/कार्यरत रहें।

(12) मंडी शुल्क से छूट की पात्रता हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग 1 नवंबर 2012 से 21 अक्टूबर 2017 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दे।

(13) जिन उद्योगों ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के खण्ड 9.4 अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु आवेदन दिया है उन्हें औद्योगिक नीति 2009–14 के अधिसूचना क्रमांक एफ–20–112–2009–11(6) दिनांक 21.06.2011 में अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009 के अधीन मंडी शुल्क छूट प्रतिपूर्ति अनुदान की प्राप्ति नहीं होगी।

4. **मंडी शुल्क से छूट की मात्रा.**– कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले इकाईयों को राज्य की मंडियों से उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) क्रय करने के प्रथम दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। छूट की अधिकतम सीमा औद्योगिक इकाई द्वारा किये गये मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

5. **प्रक्रिया एवं अधिकार .–**

(1) औद्योगिक इकाईयों को उपाबंध–दो के अनुसार निर्धारित आवेदनपत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं संभागीय संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड के कार्यालय में आवेदन करना होगा, जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध 8 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जायेगी:–

(एक) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0 ।

(दो) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्द्राज।

(तीन) उपाबंध–दो में निर्धारित प्रारूप पर मंडी शुल्क के भुगतान से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का प्रमाणपत्र एवं सूची।

(चार) कृषि उपज मंडी समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र।

(पांच) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) की प्रति (यदि लागू हो तो) ।

(छः) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का उपाबंध–चार पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति) ।

(सात) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का उपाबंध–पांच पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाणपत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगो से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)।

(आठ) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति) उपाबंध–छः के अनुसार ।

(नौ) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

(दस) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाणपत्र ।

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा ।

(बारह) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति।

(तेरह) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।

(चौदह) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम, 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो) ।

(पन्द्रह) स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव प्रति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) ।

(सोलह) उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु जारी अनुमति।

(सत्रह) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी0जी0 सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाणपत्र ।

(अठारह) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाणपत्र ।

(उन्नीस) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के अधीन बायलर स्थापित करने हेतु सम्मति/अनुज्ञा

(बीस) भू–स्वामित्व/पट्टे से संबंधित दस्तावेज।

(इक्कीस) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाणपत्र ।

(2) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड को आवेदनपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उपाबंध–तीन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम प्रबंधक/सहायक प्रबंधक/मण्डी सचिव स्तर के अधिकारियों से करा कर अपने अभिमत के साथ मंडी शुल्क छूट का निर्धारण कर लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जावेगा तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अभिमत/अनुशंसा के साथ उद्योग संचालनालय को प्रेषित किये जायेगें। ऐसे प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

(3) राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जायेगी।

(4) स्थायी पूंजी निवेश करने की निर्धारित समयावधि अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संगणित की जायेगी।

(5) जिला/राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर, यथास्थिति, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश उपाबंध–आठ में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा, जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में मंडी शुल्क छूट स्वीकृत की जाती है तो कंपनी संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जायेगी। विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/मण्डी सचिव संबंधित मण्डी द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो राज्य/जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण निरस्तीकरण आदेश से सहमत होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 60 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

समिति के निर्णय हेतु, यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी, सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा; सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत टीप एवं अभिमत/अनुशंसा को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

(6) समिति का स्वरूपः–

(एक) **जिला स्तरीय समिति :–**

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	उप संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य
(3)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सदस्य
(4)	संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड	सदस्य
(5)	मण्डी सचिव संबंधित मण्डी	सदस्य
(6)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

समिति का कोरम 4 होगा एवं उपरोक्त सरल क्रमांक 4 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(दो) **राज्य स्तरीय समिति :–**

(1)	कृषि आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी	सदस्य
(3)	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(4)	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड	सदस्य
(5)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

समिति का कोरम 3 होगा ।

(तीन) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :–

(1) योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना/परीक्षण की कार्यवाही करना/वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक 3 माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेण्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना एवं सदस्यों को प्रेषित करना।

(3) योजना से संबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना एवं स्वत्वों के भुगतान के संबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/निर्णयों की जानकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में अग्रेषित करना।

(चार) **राज्य स्तरीय समिति के अधिकार:-**

(1) राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से, संदर्भित किये जाने पर अपने स्वंय के विनिश्चय में परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त होगी ।

(2) राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर जिला स्तर पर समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की शक्तियां एवं तद्नुसार जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होगी।

(3) राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश जिला स्तरीय समिति के लिये बाध्यकारी होगें।

(4) राज्य स्तरीय समिति को आवेदन देने में हुए विलंब को गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए शिथिल करने के अधिकार होंगे।

(5) यदि पंजीकृत व्यवसायी ने निर्धारित अवधि में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश (प्लांट एवं मशीनरी) नहीं किया है तो समिति को यह अधिकार होगा कि व्यवसायी द्वारा निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापना हेतु उठाये गये प्रभावी कदमों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा कर पात्रता पर निर्णय करें।

(6) राज्य स्तरीय समिति उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग औद्योगिक इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करेगी।

6. **अपील एवं वाद.-**

(1) लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा। द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

(2) अपील शुल्क का भुगतान "निर्धारित हेड" के अंतर्गत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व/अपील निरस्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं जमा किया जायेगा।

(3) कोई भी अपील, आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करना होगा।

(चार) इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

7. **मंडी शुल्क से छूट की वसूली .-** निम्नलिखित परिस्थितियों में मंडी शुल्क से छूट की राशि भू राजस्व के बकाया के रुप में वसूली योग्य होगी, अर्थात् :-

(1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं इस प्रकार गलत तरीके से छूट प्रमाणपत्र स्वीकृत हुआ है;

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है एवं इस कारण अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त नियम 3 के उप–नियम (7) में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है;

(3) शासन/उद्योग संचालनालय/संबंधित मण्डी समिति द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये;

(4) प्रति वर्ष उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार/ संबंधित मण्डी समिति एवं उद्योग केन्द्र को न दिया जाये;

(5) यदि किसी न्यायालय द्वारा उद्योग को बंद करने का आदेश पारित किया गया हो;

(6) यथास्थिति, निरस्तीकरण की वसूली के आदेश, जिला/राज्य स्तरीय समिति की ओर से क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली;

(7) कृषक विकेता से कय कृषि उपज की कीमत का भुगतान मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं करने पर;

(8) मण्डी अधिनियम के अधीन कोई निर्रहता होने पर।

8. **छूट प्रमाणपत्र प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व .–**

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने छूट प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/संबंधित मण्डी समिति को छूट प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर देनी होगी।

(2) औद्योगिक इकाई को छूट की अवधि समाप्त होने के उपरांत न्यूनतम पांच वर्ष तक उद्योग चालू रखना होगा।

(3) छूट की स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/संबंधित मण्डी समिति की पूर्वानुमति के बिना इकाई के उद्योग स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उद्योग का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा और उद्योग के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(4) छूट स्वीकृति के उपरांत भी अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का नियम 3 के उप–नियम (7) में उल्लेखित प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा।

9. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/संबंधित मण्डी समिति सक्षम होंगे। छूट से संबंधित किसी विषय पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों/संबंधित मण्डी समिति द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

10. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी, राज्य शासन/ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

उपाबंध—एक

(कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का परिशिष्ट—एक)

अपात्र उद्योगों की सूची

1 राईस मिल

2 पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग

3 पोहा एवं मुरमुरा

4 हालर मिल

5 पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना

6 मिनरल वाटर

7 सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स,

8 एल्कोहल ड्रिंक्स

9 भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम

10 राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

11 खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई) (रिफाइनरी)

12 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाएं।

उपाबंध—दो

(नियम 3 एवं 4 देखिए)

छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क छूट नियम 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट का आवेदन प्रारूप

1 औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता
2 औद्योगिक इकाई का संगठन
3 औद्योगिक इकाई का प्रकार – सूक्ष्म एवं लघु/मध्यम/वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट
5 औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन/विस्तार
6 औद्योगिक इकाई का उद्योग स्थल

(क) स्थान
(ख) विकास
(ग) जिला

7 पंजीयन

(1) लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0
(2) ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र
(3) मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
(4) पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति (यदि लागू हो)
(क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)
(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)
(ग) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)
(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)
(ङ.) भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)
(5) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
(6) भूमि व्यपवर्तन/निर्धारण आदेश
(7) स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र/ प्रस्ताव
(8) मण्डी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन

8 कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक
9 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
10 उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)
11 प्रयुक्त कच्चे माल एवं अनुमानित वार्षिक मात्रा
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....

11 योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)–

क्र.		राशि
(1)	भूमि – (भूमि का रकबा ....)	
	(क) वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/	
	(ख) मुद्रांक शुल्क	
	(ग) पंजीयन शुल्क	
	योग–	
(2)	शेड–भवन –	
	1 फैक्ट्री भवन	
	2 शेड	
	3 प्रयोगशाला भवन	
	4 अनुसंधान भवन	
	5 प्रशासकीय भवन	
	6 केन्टीन	
	7 श्रमिक विश्राम कक्ष	
	8 वाहन स्टैण्ड	
	9 सिक्यूरिटी पोस्ट	
	10 माल गोदाम	
	योग–	
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) –	
	1 प्लांट एवं मशीनरी, न्यूनतम 100 लाख रू का पूंजी निवेश आवश्यक है।	
	2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण	
	3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण	
	4 परीक्षण उपकरण	
	5 स्थापना संबंधी व्यय	
	योग–	
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश–	
	(क) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	(ख) केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
	योग–	
(5)	जल आपूर्ति निवेश –	
	औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	योग–	
	महायोग–	

12 योजना– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

(1) स्वयं के स्त्रोत

(2) अंश पूंजी

(3) ऋण

(क) वित्तीय संस्थाओं से ऋण

(ख) बैंको से ऋण

(4) योग

13 रोजगार–

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अकुशल वर्ग क.................. ख.................. ग..................				
कुशल वर्ग क.................. ख.................. ग..................				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग क.................. ख.................. ग.............				
योग				

14 विद्युत भार–

15 औद्योगिक इकाई के स्वामित्व– नियंत्रणधीन अन्य अद्योगों का विवरण–

(1) नाम व पता

(2) कारखाना

(क) ग्राम / नगर

(ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान / छूट एवं रियायतों का विवरण

16 आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण

17 संलग्न दस्तावेजों की सूची

टीप– उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें।

स्थान –

दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ पत्र

1 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2 छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क छूट नियम 2012 के प्रावधानों का पूर्ण पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा।

3 यह भी शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा।

4 औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है।

5 उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा छूट प्रमाणपत्र में दी गई छूट के समतुल्य राशि 60 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

स्थान --

दिनांक --

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध–तीन
[नियम 5 (2) देखिए]

मंडी शुल्क छूट हेतु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण / सत्यापन दिनांक..................

1 औद्योगिक इकाई का नाम व पता–
2 उद्योग का संगठन–

3 औद्योगिक इकाई का प्रकार– सूक्ष्म एवं लघु / मध्यम / वृहद / मेगा प्रोजेक्ट / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट
4 औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन / विस्तार
5 औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

(क) स्थान
(ख) विकास खण्ड
(ग) जिला

6 पंजीयन

(1) लघु उद्योग पंजीयन / ई0एम0 पार्ट–1 / आई0ई0एम0
(2) ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र
(3) प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन
(4) केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन
(5) पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति (यदि लागू हो)

(क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)
(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत्)
(ग) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)
(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत्)
(ङ) भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

(6) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
(7) भूमि व्यपवर्तन आदेश (यदि लागू हो)
(8) स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
(9) मण्डी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन

7 कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक
8 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
9 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

10 सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क्र.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ....तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में
(1)	**भूमि –** **(क) भूमि का रकबा** **(ख) वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम /** **(ग) मुद्राक शुल्क** **(घ) पंजीयन शुल्क** **योग–**		
(2)	**शेड–भवन –** **1 फैक्ट्री भवन** **2 शेड** 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन **6 केन्टीन** 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैण्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग–		
(3)	प्लांट एवं मशीनरी – न्यूनतम 100 लाख रू का पूंजी निवेश आवश्यक है। 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण **4 परीक्षण उपकरण** **5 स्थापना संबंधी व्यय** **योग–**		
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश–** (क) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल / विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी दय राशि को छोड़कर) (ख) कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश **योग–**		
(5)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) योग–		
	महायोग–		

11 रोजगार–

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अकुशल वर्ग क.................. ख.................. ग.................. योग					
2	कुशल वर्ग क.................. ख.................. ग.................. योग,					
3	प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग क.................. ख.................. ग........... ....योग					
	महायोग					

12 सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति
(1) भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)
(2) भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व ड्रेनेज निर्माण)
(3) विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)
(4) जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

13 विद्युत भार–

14 औद्योगिक इकाई के अन्य इकाईयों को दिये अनुदान/छूट एवं रियायतों पर टीप (यदि लागू हो)–
(1) नाम व पता
(2) कारखाना स्थल
(क) ग्राम/नगर
(ख) तहसील
(ग) जिला

15 टीप/अभिमत/ अनुशंसा –
(1) भौतिक स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के समय गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल, पार्क एवं भूमि विकास पर किये गये निवेश के संबंध में।

(2) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची का सत्यापन इकाई की लेखा पुस्तकों से किये जाने बाबत्।

(3) विलंबित आवेदनों पर इकाई द्वारा बताये गये विलंब के करणों पर अभिमत।

(4) भारत सरकार/राज्य शासन या इसके किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/आयोग/मंडल वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान/प्राप्त न करने बाबत् टीप

(5) स्थायी पूंजी निवेश को अमान्य करने के कारण (मदवार राशिवार)।

(6) विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण।

(7) स्पष्ट अनुशंसा।

(8) स्थायी पूंजी निवेश की सूची का लेखा पुस्तकों से सत्यापन किये जाने के संबंध में टीप।

(9) अन्य बिंदु जो क्लेम प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक समझे जावें ।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)
नाम
पद
कार्यालय

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा/अभिमत एवं टीप पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की अनुशंसा/संयुक्त संचालक स्थानिय कार्यालय/संबंधित मण्डी समिति का अभिमत।

उपाबंध–चार

[नियम 5(6) देखिए]

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1 औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ....है एवं उद्योग ....**में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट–1** क्र0..एवं ई0एम0 पार्ट–2/आई.ई.एम. क्रमांक ....एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ....दिनांक ....**है व जिसके** अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ....है, में वाणिज्यिक **उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक** .... तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये ....**(अक्षरों में)**...है, का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क्र.	विवरण	निवेशित राशि	**वास्तविक भुगतान की गयी राशि**
(1)	(2)	(3)	**(4)**
(1)	भूमि – (क) भूमि का रकबा (ख) वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/ (ग) मुद्रांक शुल्क (घ) पंजीयन शुल्क योग–		
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैण्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग–		
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) 1 प्लांट एवं मशीनरी, न्यूनतम 100 लाख रू का पूंजी निवेश आवश्यक है। 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय योग–		

(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश– (क) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) (ख) केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग–		
(5)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में **आवश्यक जल आपूर्ति** की व्यवस्था पर किया **गया निवेश** **(सिक्युरिटी डिपॉजिट** व पुरानी देय राशि को **छोड़कर)** **योग–**		
	महायोग–		

स्थान –

दिनांक –

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

उपाबंध–पांच

[नियम 5(7) देखिये]

(चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रुव्ड वेल्यूवर का प्रमाणपत्र)

(लेटर हैड पर)

1 औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ....है एवं उद्योग ....में स्थित है, जिसका ई.एम. पार्ट–1 क्र.................. .... ई.एम. पार्ट–2 क्रमांक/आई.ई.एम. ..../वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ....दिनांक ....है ने दिनांक ....तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये ....(अक्षरों में)...................है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क्र.	विवरण	मात्रा/साईज	दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैण्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग			
(2)	अन्य सामाजिक/अधोसंरचना पर किया गया व्यय – गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल			
(3)	भूमि विकास (भूमि विकास (भूमि का समतलीकरण, ड्रेनेज निर्माण व अन्य)			
	योग–			

स्थान : चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रुव्ड वेल्यूवर का नाम व पता

दिनांक: सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

उपाबंध–छः

(नियम 5 देखिए)

स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची

शीर्ष – भूमि, शेड–**भवन, प्लांट एवं** मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश

क्र.	दिनांक	**विक्रेता/भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पता**	विवरण (जिस मद में निवेश/व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक/चालान क्रमांक	राशि

(1)

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
आवेदक इकाई का नाम
व पता

(2)

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
नाम व पता
सील
चार्टर्ड एकाउण्टेंट कमांक व
दिनांक

टीपः– (1) सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये।
(2) सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये।
(3) प्रत्येक निवेश/व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे– जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि।
(4) सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट के हस्ताक्षर युक्त हो।

उपाबंध–सात

(नियम 7 एवं 8 देखिए)

मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र

(छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्र...........................के अंतर्गत)

(1) छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक ....दिनांक ....
द्वारा, अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क छूट नियम 2012 के नियम क्रमांक "6.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार मंडी शुल्क से छूट प्रमाणपत्र जारी किया जाता है –

(2) (क) औद्योगिक इकाई का नाम व पता

(ख) उद्योग का स्वरूप
(नवीन/विस्तार)

(ग) उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

(घ) प्रयुक्त कच्चे माल –

(एक) ....

(दो) . ...

(तीन) ....

(ड.) वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

(च) कच्चा माल क्रय करने का प्रथम दिनांक –

(छ) औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान,विकास खंड व जिला)

(ज) अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश–

(झ) मंडी शुल्क से छूट की मात्रा –

(3) यह छूट प्रमाण पत्र दिनांक .... से .... तक वैध है।

(4) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त खण्डों का पालन करना होगा एवं खण्डों के उल्लंघन पर छूट प्रमाणप निरस्तीकरण योग्य होगा।

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/
संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय मण्डी
बोर्ड/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उपाबंध—आठ

[नियम 2(त) एवं 5 देखिए]

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /मण्डी समिति ....

मेसर्स...पता... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क नियम 2012 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक ....(अक्षरी) ....को प्राप्त हुआ है। प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है। भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पद

सील

रायपुर, दिनांक 11 जून 2014

क्रमांक/2617/डी–15/116/पार्ट–2/14–2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–87/2012/ग्यारह/(6), दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा जारी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के खण्ड 9.4 के अधीन मण्डी शुल्क में दी गई छूट के अध्याधीन, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मण्डियों से प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए क्रय की गई कृषि उपज पर दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से 31 अक्टूबर, 2017 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहित मण्डी शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

यतः यह छूट, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2615/डी–15/116/पार्ट–2/2004/14–2 दिनांक 11–6–2014 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 के अध्याधीन लागू होगा.

No./2617/D-15/116/Part-II/14-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, subject to such exemption in the market fees as provided under clause 9.4 of the Agro and Food Processing Industries Policy, 2012 issued vide Department of Commerce and Industries's Notification No.F 20-87/2012/11/(6), Raipur, dated 26 October, 2012 as amended by Notification dated 19th September, 2013, exempt from the payment of whole market fees levied under sub-section (1) of Section 19 of the said Adhiniyam for the period between 1st November, 2012 and 31st October, 2017 on Agriculture produce purchased from Mandi for the purpose of processing by the processor in the State of Chhattisgarh;

Whereas, the exemption is applicable subject to the Mandi Sulk Me Chhut Niyam, 2014 under Agro and Food Processing Industries Policy, 2012 issued by this Department Notification No. 2615/D-15/116/Part-II/2004/14-2, dated 11-06-2014.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2014 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-54/गृह-सी/परीक्षा/2014.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा नि र्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2014 से 11 अगस्त, 2014 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जंगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 04-08-2014

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 04-08-2014	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 05-08-2014

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रेश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 05-08-2014

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 06-08-2014

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

बुधवार, दिनांक 06-08-2014

(1)	(2)	(3)
21.	**पुस्तपालन** तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	**प्रश्न पत्र प्रथम** वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	**पहला प्रश्न** पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	**पुलिस** अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र	
63.	**स्विच गेयर** तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 06-08-2014

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 07-08-2014

(1)	(2)	(3)
33.	**प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.**	
34.	**प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये**	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
35.	**प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये**	

गुरुवार, दिनांक 07-08-2014

(1)	(2)	(3)
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 07-08-2014

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	**दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.**
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 08-08-2014

(1)	(2)	(3)
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	**प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.**
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 08-08-2014

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 09-08-14 एवं रविवार 10-08-14 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 11-08-2014	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. सभी सदस्यों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 20-07-2014 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 5 जून 2014

क्रमांक/05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	ठेंगाभाट प.ह.नं. 02	0.67	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	हेम्प व्यपवर्तन दाहिनी तट मुख्य नहर के बैहरसरी माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 5 जून 2014

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पौंसरी, प.ह.नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	426	0.19
	427	0.12
	430/1	0.19
	430/2	0.20
	431	0.05
	433/1	0.11
	433/2	0.08
	434	0.22
	442	0.16
	457	0.02
योग		1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पौसरी-तुलसी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक/456/प्र.क्र. 2/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1140	0.02
	1141	0.02
	1142	0.05
	1143	0.09
योग	4	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलौदी, सोरम, धुमा, नवागांव पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं **भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.**

दुर्ग, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक/458/प्र.क्र. 3/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-गभरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	506/2	0.02
योग	1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तर्रा से भिलाई-3 पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 मई 2014

क्रमांक/779/प्र.क्र. 1/अ-82/अ.वि.अ./2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-भोथली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	214	0.39
योग	1	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलेश्वर से मगरघटा मार्ग का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

दुर्ग, दिनांक 19 जून 2014

क्रमांक/116/अ.भू-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-डोंड़की, प.ह.नं. 24/17/18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
635	0.01
636	0.12
732	0.50
650	0.06
652	0.02
653	0.03
721	0.07

(1)	(2)
722	0.06
654	0.06
729/1	0.14
676	0.15
677	0.48
690	0.05
693	0.27
694	0.15
729/2	0.14
678	0.31
729/3	0.14
679	0.38
726	0.41
752	0.40
687	0.05
688	0.15
680/4	0.05
692	0.52
697	0.28
707	0.29
715	0.35
698	0.30
706/4	0.08
708/2	0.30
716/2	0.16
701	0.32
704	0.30
718/2	0.09
751/1	0.22
695/1	0.62
695/3	0.30
705/1	0.11
708/1	0.06
714	0.12
718/1	0.09
705/2	0.12
706/1	0.12
706/2	0.43
706/3	0.23
716/1	0.07
709/1	0.27
709/2	0.28
709/3	0.54
710	0.54
711/1	0.19
691/1	0.15
711/2	0.19
691/2	0.16
711/3	0.19
691/3	0.08
713	0.23
719/1	0.21
719/2	0.21
720	0.13
725	0.14
723	0.12
724	0.14
633/1	0.05
727	0.45
728	0.47
751/2	0.22
647/1	1.19
योग 69	15.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमाखुर्द जलाशय के नहर निर्माण एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
106/2	0.40
योग 1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी परियोजना सीपत में डिस्चार्ज चेनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 जून 2014

क्रमांक 281/भू-अर्जन/2014 प्र.क्र. 02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-कुकुरदी, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.895 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281/5	0.510
303/1	0.061
305/14	0.203
323/1	0.032
324/1	0.242
353/3	0.073
353/4	0.081
353/6	0.056
355/2	0.045
351/2	0.202
357/29	0.039
357/21	0.036
357/14	0.064
357/22	0.053
357/12	0.032
281/6	0.081
304	0.405
305/2, 4, 6	0.024
303/3	0.365
324/3	0.292
356/2	0.041
353/5	0.073
352	0.271
351/1	0.178
357/8, 9	0.125
357/20	0.032
357/4	0.045
357/5	0.064
357/6	0.170
योग 29	3.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
(Statutory Body Under the Advocates Act 1961)
High Court Premises Bilaspur (C.G.)

Bilaspur, the 30th June 2014

NOTICE OF ELECTION
(Under Rule 6 of Election Rules of the Council)
(For Election of Members of State Bar Council of Chhattisgarh)

Ref. No. SBC/CG/Election Notification-5/Election/2014.—The State Bar Council of Chhattisgarh by this Notification notify the Election Programme for Election of 25 Members of State Bar Council of Chhattisgarh. The voter advocates who are willing to contest the election for the member of State Bar Council of Chhattisgarh may file their Nomination papers before the undersigned in the Election office of the State Bar Council of Chhattisgarh. Behind Town Hall, Collectorate Road Bilaspur. Phone No. 07752-222116 on the date mentioned in this Notification along with the Security Deposit of Rs. 10000/- (Rupees Ten Thousand Only) to be tendered either in cash or through Bank Draft in the name of Secretary State Bar Council of Chhattisgarh payable at Bilaspur. The Nomination papers will be accepted between office hour and the candidate may also file an additional Nomination paper.

The prescribed Nomination forms may be obtained from the undersigned by the desirous candidate from the Extension office of the State Bar Council of Chhattisgarh on any working day after this notification between office hour. Duly filled up Nomination papers may also be accepted through proposer or seconder or through an agent duly authorized in writing by the candidates or through registered post so as to reach the office of the undersigned on or before the date notified in this behalf.

The polling shall take place on 14th Aug 2014 between 10-30 A.M. to 5 P.M. The polling booths shall ordinarily be located in the Court Premises at every District/Civil Court of the State of Chhattisgarh (Where there is no Civil Court the exact place of polling will be notified separately). The programme of Election is as under :—

ELECTION PROGRAMME

छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद का आम चुनाव 2014 का चुनाव कार्यक्रम

1.	प्रारंभिक मतदाता सूची **(Publication of preliminary Electrol Roll)**	30-05-2014
2.	दावा आपत्ति (Objections to preliminary Electrol Roll)	15-06-2014
3.	अंतिम मतदाता सूची **(Final Voter List)**	25-06-2014

4.	नोटिफिकेशन (Election Notification)	30-06-2014
5.	नामांकन फार्म प्राप्त करने की तिथि एवं नामांकन फार्म जमा करने की तिथि (Nomination Form Available) & (Nomination Form Fillup)	07-07-2014 से 14-07-2014
6.	स्क्रूटनी (Scrutiny)	15-07-2014
7.	नाम वापसी (Withdrawal of Nomination Form) after withdrawal final list is published at 5.00 pm	16-07-2014 to 20-07-2014
8.	उम्मीदवारों की फायनल सूची (Publication of List of Contesting Candidates)	20-07-2014 at 5.00 pm
9.	मतदान दिवस (Polling Date)	14-08-2014 (Office hour)
10.	मतगणना (Counting of Votes)	03-09-2014 (Office hour) to onwards in the State Bar Council Extention Office, Near Town Hall, Bilaspur (C.G.)
11.	Minimum Number of seats to be filled up from amongst the advocates who on the relevant date has been on State Roll at least for 10 years.	13 (Thirteen)

Mallika Bal,
O.S.D.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th June 2014

No. 4125/CSJA/Inst. Trg. (FS)/ADJ 2013 Batch/14.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2013 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 16th June at 9.00 A.M. for undergoing the Institutional Training-Foundation Course (Final Stage)

scheduled to be held from 16th June, 2014 to 30th June, 2014.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Sanjeev Kumar	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur
2.	Shri Jaideep	Additional District & Sessions Judge, Kanker
3.	Shri Santosh Kumar Tiwari	IV Additional District & Sessions Judge, Ambikapur
4.	Shri Manvendra Singh	II Additional District & Sessions Judge, Dantewada
5.	Shri Rajbhan Singh	Additional District & Sessions Judge, Jashpurnagar
6.	Shri Mohan Prasad Gupta	II Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.

The abovementioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules

By order of the Hon'ble Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, I/c, Registrar General.